

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-11 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/28/2015-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 11 मई, 2021

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा और बिहार की राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, अन्तर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद, नियमों में ढील देते हुए, श्री अभिषेक सिंह, आईएएस (त्रिपुरा:2006) के त्रिपुरा संवर्ग से बिहार संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 10.04.2021 के पश्चात् 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23094142

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली।